

प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 2/शा०/313/2013-2/44/2012

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2013

विषय: ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर तात्कालिकता और कार्यहित के दृष्टिगत भर्ती किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:-1770/33-1-2013-3619/2008 दिनांक 12 जून, 2013, (छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न) जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की तात्कालिकता एवं कार्यहित में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1980/दस-54(एम)/2008 टी०सी० दिनांक 22 नवम्बर, 2011 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-142वी०एम०/33-1-2012-3197/2001 दिनांक 23 नवम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अनिवार्य अर्हता (कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी का सी०सी०सी० प्रमाण-पत्र) से छूट प्रदान करते हुए केवल वर्तमान चयन वर्ष तक उपलब्ध ग्राम पंचायत अधिकारी पद की रिक्तियों को भरे जाने हेतु उ०प्र० पंचायत सेवक सेवानियमावली, 1978 एवं सपठित उ०प्र० ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 में प्राविधानित/विहित अर्हता के अनुसार ही भर्ती कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गयी है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयनित व्यक्ति को ग्रंथ वेतन रुपये-2000/- तभी प्रदान किया जाए जब उसके द्वारा कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी (DOEA.CC) द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण-पत्र की अर्हता प्राप्त कर ली जाए।

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या 1972/33-1-2013-3619/2008 दिनांक 24 जून, 2013 के द्वारा पुनः प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि शासनादेश में संदर्भित चयन वर्ष अर्थात् 30 जून, 2013 तक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशानुसार उ०प्र० पंचायत सेवक सेवानियमावली, 1978 एवं सपठित उ०प्र० ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 में प्राविधानित/विहित अर्हताओं तथा कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 20(4)/2002-का-2009 दिनांक 11 फरवरी, 2009 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2009 तथा इसके पूर्व विद्यमान समूह-ग चयन प्रक्रिया नियमावली-2002 यथा संशोधित 2003 एवं यथा संशोधित 2007 के प्राविधानानुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें :-

1	ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों का समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली के नियम संख्या:-5 (1) तथा (2) के प्राविधानों के अनुरूप विज्ञापन प्रकाशित किया जाना।	दिनांक 06 सितम्बर, 2013 तक।
2	आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	07 अक्टूबर, 2013 तक।
3	प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार किया जाना।	08 अक्टूबर, 2013 से 14 अक्टूबर, 2013 तक।

4	साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाना।	15 अक्टूबर, 2013 से 25 अक्टूबर, 2013 तक।
5	साक्षात्कार प्रारम्भ होने की तिथि	06 नवम्बर, 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक।
6	चयनित सूची का प्रकाशन।	साक्षात्कार समाप्त होने के तत्काल बाद।
7	नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि।	चयनित सूची प्रकाशित होने के विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर।

आपसे प्राप्त रिक्तियों का विवरण परिशिष्ट-2 तथा विज्ञापन का प्रारूप परिशिष्ट-3 एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-4 पर इस आशय के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है कि उक्त सन्दर्भित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली के नियम संख्या:-5 (1) तथा (2) के प्राविधानों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रभावी सेवा नियमों के अंतर्गत शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराते हुए जनपद में पर्याप्त परिचालन वाले स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विलम्बतम दिनांक 06 सितम्बर, 2013 तक विज्ञापन का प्रकाशन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को फैंक्स/ई-मेल से प्रत्येक दशा में दिनांक 11 सितम्बर, 2013 तक अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(सौरभ/बाबू)

निदेशक,

पंचायतीराज, उ०प्र०।

संख्या:2/शा०/313/1/2013 उक्तदिनांक

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को प्रकाशन कराने हेतु।
- 6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि क्षेत्राधीन जनपदों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 11 सितम्बर, 2013 तक जनपद वार कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 7- समस्त अधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।
- 8- नाजिर, पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

(ए०के०सिंह)

जि०प०रा०अ०(मु०)

पंचायतीराज, उ०प्र०।

प्रेषक,

विद्यासागर प्रसाद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2013

विषय:-ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों पर तात्कालिकता और कार्यहित के दृष्टिगत उ०प्र० पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 एवं सपठित उ०प्र० ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 में प्राविधानित/विहित अर्हता के अनुसार भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1980/दस-54(एम)/2008टी०सी०, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 द्वारा वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग-5) में पंचायती राज विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति पर लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर वर्तमान शैक्षिक अर्हता के साथ कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी (DOEACC) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की अर्हता निर्धारित करते हुए उच्चकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रुपये-2000/-तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक: 22-11-2011 के अनुक्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश संख्या-142वी०एम०/33-1-2012-3197/2001, दिनांक: 23 नवम्बर, 2012 द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के समस्त पदों पर वर्तमान शैक्षिक अर्हता में कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी (DOEACC) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की अर्हता को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रुपये-5200-20200 तथा ग्रेड वेतन रुपये-2000/-तात्कालिक रूप से अनुमन्य कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये।

2- वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक: 22नवम्बर, 2011 एवं तत्क्रम में पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक: 23नवम्बर, 2012 द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी पद हेतु विहित वर्तमान शैक्षिक अर्हता के साथ डोयक सोसाइटी (DOEACC) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की अर्हता का समावेश संगत नियमावली में न हो पाने, ग्राम पंचायत अधिकारी के सृजित 8135 पद के विरुद्ध लगभग 2901 पद रिक्त होने के कारण पंचायतों में संचालित योजनाओं के प्रभावित होने के कारण ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने की तात्कालिकता एवं कार्यहित में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे०आ०-2-1980/दस-54(एम)/2008टी०सी०, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-142वी०एम०/33-1-2012-3197/2001, दिनांक: 23 नवम्बर, 2012 द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अनिवार्य अर्हता (कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी का सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र) से छूट प्रदान करते हुए केवल वर्तमान चयन वर्ष तक उपलब्ध ग्राम पंचायत अधिकारी पद की रिक्तियों को भरे जाने हेतु उ०प्र० पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 एवं सपठित उ०प्र० ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 में प्राविधानित/विहित अर्हता के अनुसार ही भर्ती कराये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान

की जाती है कि ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयनित व्यक्ति को ग्रेड वेतन रुपये-2000/- तभी प्रदान किया जाए जब उसके द्वारा कम्प्यूटर में डोयक सोसाइटी (DOEACC) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की अर्हता प्राप्त कर ली जाए।

3- ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर नियमों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराते हुए चयन की कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-वे0आ0-2-576/दस-2013, दिनांक 6-6-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विद्यासागर प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या-1278(1)/33-1-2013, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- (7) पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विद्यासागर प्रसाद)
विशेष सचिव।

ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन का प्रारूप

- 1-जनपद का नाम विभाग का नाम.....
- 2- विज्ञापन सख्या एव दिनांक.....
- 3-आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि

जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा न्यूनतम शैक्षिक आर्हता के रूप में चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण भारत के नागरिकों से निम्न विवरण के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

4- रिक्तियों का विवरण

पद का वेतनमान	कुल पद	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
5200-20200 ग्रेड पे0 1900					

- 5-आयु पहली जुलाई 2013 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रभावी शासनादेश के अनुरूप आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमत्य होगी।
- 6-आवेदन पत्र विधिमान्य पाये जाने पर ब्यवस्थिति साक्षात्कार की तिथि पृथक से सूचित की जायेगी।
- 7- संलग्नक --
 - (क) शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।
 - (ख) स्वयं का नाम/पता लिखें डाक टिकट लग दो लिफाफे संलग्न करें।
 - (ग) पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो फार्म पर चिपका दे।
 - (घ) एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन-पत्र भेजा जाय।
- 8- आवेदन-पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से निम्नलिखित पते पर प्रेषित किये जाये-

पता-

सेवा में
जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद-----

नोट:- निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन-पत्र का प्रारूप

विज्ञापन संख्या—

दिनांक—

- 1- पद का नाम ग्राम पंचायत अधिकारी
- 2- जनपद का नाम _____
- 3- अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) _____
(अंग्रेजी में) _____

राजपत्रित
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित
पासपोर्ट साइज
नवीनतम
फोटोग्राफ

- 4- पिता/पति का नाम _____
- 5- जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
- 6- स्थायी निवास का पता _____
- 7- पत्र व्यवहार का पता _____
- 8- वैवाहिक स्थिति _____
- 9- जन्मतिथि (क) (अंकों में) _____
(ख) (शब्दों में) _____
- 10- पहली जुलाई, 2013 को आयु _____ वर्ष _____ माह _____ दिन
- 11- शैक्षिक एवं विशेष योग्यता का विवरण:- (प्रमाणित प्रतियों सहित)

क्र.सं.	परीक्षा का नाम बोर्ड/संस्था	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	उत्तीर्ण श्रेणी	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						

- 12- अधिमानी अर्हता यदि कोई हो—
(क) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(ख) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,
(ग) जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो,
अन्य बातों के समान होने पर सीधीभर्ती के मामलों में अधिमान दिया जायेगा।
- 13- यदि अभ्यर्थी खिलाड़ी हैं तो उसका स्तर तथा प्रमाण-पत्र।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर(एक), राष्ट्रीय स्तर (दो), राज्य स्तर (तीन), विश्वविद्यालय/कालेज/
स्कूल स्तर(चार)
- 14- यदि अभ्यर्थी छटनीशुदा कर्मचारी है तो—
(क) एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,
(ख) दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो,
(ग) दो से अधिक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

A-

घोषणा-पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- 1- मैंने विज्ञप्ति में दी गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा हैं, वे मुझे मान्य हैं और वे शर्तें मैं पूरा करता/करती हूँ।
- 2- इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये समस्त विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और इस विवरण में मेरे द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण असत्य पाया जाय/ छिपाया जाना पाया जाय तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जायें।

नोट: 1-आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जाति के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
2-शैक्षिक योग्यता/आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की केवल प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जाय।

४८

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर
पता_____